3 Av

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH !! ऊँ. !! 43AA 625308

5
14/11/13

विक्रय पत्र

संपत्ति का विक्रय मूल्य – रू. 1605000/– (रू. सोलह लाख पांच हजार मात्र)

!! मुद्रांक शुल्क !!	
शासकीय मुद्रांक	80,250.00
जन पंचायत मुद्रांक	16,050.00
उपकर	4,012.00
अधिक मुद्रांक	58.00
कुल मुद्रांक	1,00,370.00

!! विक्रय मूल्य के भुगतान का विवरण !!

01. रूपये 8,02,500/–(रूपये आठ लाख दो हजार पांच सौ मात्र) चेक क्रमांक 000038 दिनॉक 14/11/2013 कोटक महेंद्रा बैंक शाखा जोन–1, एम.पी. नगर, जिला भोपाल म.प्र. जो कि विकेता कमांक–1 ने प्राप्त कर लिया है।

02. रूपये 8,02,500/–(रूपयं आठ लाख दो हजार पांच सौ मात्र) चेक क्रमांक 000037 दिनॉक 14/11/2013 कोटक महेंद्रा बैंक शाखा जोन 1 एम.पी. नगर , जिला भोपाल म.प्र. विकेता क्रमांक– 2 ने प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार उक्तानुसार विक्रेतागण कमांक 1 एवं 2 ने कुल विक्रय रूपये 16,05,000/– (रू. सौलह लाख पांच हजार मात्र) प्राप्त कर क्रेता को इस विलेख के माध्यम से अभिस्वीकृति प्रदान करता है।

Kalhaiyal

क्रमशः पेज नं. 02 पर

3104 से 3110
10x7 = 70

3104
10
7/11/13

नाम विक्रेतागण – (1) श्रीमती रेखा गर्ग पत्नी श्री अनूप गर्ग, निवासीः– मकान नं. ई–6 / 27 अरेरा कॉलोनी भोपाल, म.प्र.

(2) श्री संदीप खरे पुत्र श्री जी.के. खरे, निवासी–एच एक्स–65, ई–7 एक्सटेंशन अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.

नाम क्रेता – कमलेश्वर युवक एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल, पंजीयन कमांक 7662 / 2000 दिनांक 14 / 02 / 2000 द्वारा अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल अमरनानी पुत्र श्री लेखराज अमरनानी, निवासी–मकान नं. –11 सनविला कैम्पस वाल्मी रोड, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल, म.प.

वास्ते विक्रय पत्र

SEP 2013
भोपाल

कन्हैया लाल पुत्र लेखराज अमरनानी

जिला भोपाल के उप पंजीयक जवाहर चौक
कार्यालय में तारीख 14 NOV 2013
को म.पू. / म.प. 2-50 बजे
प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक
भोपाल

श्रीमती ... शर्मा
स्टाम्प विक्रेता

भोपाल

Kanhaiyalal

मुद्रांक शुल्क 800250-
नगर निगम शुल्क —
पंचायत शुल्क 16050-
उप कर 4012-
अतिरिक्त शुल्क 58-
अधिक शुल्क 100370-

उप पंजीयक
भोपाल

3852

1929

रसीद दस्तावेज वगैरह 52

उप जिला-2-क्षेत्र क्रमांक-05

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	कन्हैया लाल 1605000	13020	

तारीख 14 NOV 2013 उप-पंजीयक

भारत दस रुपये रु.10 INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 02. 43AA 625309

नाम विक्रेतागण – (1) **श्रीमती रेखा गर्ग पत्नी श्री अनूप गर्ग**, आयु–वयस्क, निवासीः– मकान नं. ई–6/27 अरेरा कॉलोनी भोपाल, म.प्र. राष्ट्रीयता– भारतीय पैन. न. AHMPG5267A

(2) **श्री संदीप खरे पुत्र श्री जी.के. खरे**, आयु वयस्क,निवासी–एच एक्स–65, ई–7 एक्सटेंशन अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र. राष्ट्रीयता–भारतीय, पैन. नं. ABOPK2256M

नाम क्रेता – **कमलेश्वर युवक एवं समाज कल्याण समिति**, भोपाल, पंजीयन कमांक 7662/2000 दिनांक 14/ 02/2000 द्वारा अध्यक्ष **श्री कन्हैया लाल अमरनानी पुत्र श्री लेखराज अमरनानी** आयु वयस्क, निवासी–मकान न. –11 सनविला कैम्पस वाल्मी रोड, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल, म.प्र. राष्ट्रीयता– भारतीय पैन नं. AAATK4589N

!! विक्रेता द्वारा विकय की जा रही कृषि भूमि का पूर्ण विवरण !!

एक किता असिंचित कृषि भूमि खसरा कमांक 71/क कुल रकबा– 2.630 हेक्टेयर में से 0.607 हेक्टेयर अर्थात् 1.50 एकड़ विकय की जा रही है, जो ग्राम समसपुरा, पटवारी हल्का नं. 44 राजस्व निरिक्षक मंडल–04, विकास खण्ड– फन्दा, तहसील– हुजूर, जिला– भोपाल, म.प्र. में स्थित है जो कि नगर निगम ,नगर पालिका, नगर पंचायत सीमा के बाहर स्थित है उपरोक्त असिंचित कृषि भूमि **विक्रेतागण ने** क्रेता के पक्ष में सदैव के लिये विकय कर रहा हैं, जिसकी भू–अधिकार ऋण पुस्तिका कमांक भाग एम 834049 एवं एल 558084 जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है–

पूर्व में	–	खसरा न. 87 की भूमि
पश्चिम में	–	रास्ता
उत्तर में	–	खसरा न. 71/क की शेष भूमि
दक्षिण में	–	खसरा न. 71/क की शेष भूमि

क्रमशः पेज नं. 03 पर

Kanhaiyalal

3104/10 + 3105/10

3105/10
7/11/13

5

प्रीति रेखा गर्ग पत्नी अरूप गर्ग
डी-6/27 कस्तूरबा कॉलोनी भोपाल
संदीप खरे पुत्र पी. के खरे
एच-एल-65/डी-7 कस्तूरबा कॉलोनी भोपाल
स्वीकार करते है कि तथा काबत
विक्रय विलेख का निष्पादन
किया गया था / तथा प्रतिफल के
पूरे / आंशिक रू. 1605000/-
प्राप्त हो गये है, तथा रू ______
उन्हे मेरी उपस्थित में चुकाये गये थे।
और प्रतिफल की बकाया रकम यथा रू
______ बच गई है जो पंजीयन के
बाद प्राप्त होगी।

श्रीमती सु... शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
6 A 20 (1250), तुलसी नगर, भोपाल
☎ : 660334 572377

अरूप पुत्र टी. सी. गर्ग / डी 6/27 कस्तूरबा कॉलोनी भोपाल
संजीव पुत्र ... एम. सोती तुलसी नगर भोपाल

की आंव पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों
की शिनाख्त के विषय में की 14 NOV 2013
। दिनाँक ______

उप पंजीयक
भोपाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 03. 43AA 625310

इस प्रकार विक्रेतागण द्वारा कुल रकबा 0.607 हेक्टेयर अर्थात 1.50 एकड़ विक्रय की जा रही है। उक्त असिंचित कृषि भूमि जिसे इस विकय पत्र के साथ सलंग्न (अक्स) मानचित्र में लाल रंग के घेरे में पूर्ण विवरण के साथ दर्शाया गया है, उक्त नक्शा इस विकय पत्र का एक महत्वपूर्ण अंश होगा।भोपाल शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थिसत है।

!! अन्य विवरण !!

01. यह कि विकय की जा रही असिंचित कृषि भूमि /संपत्ति **विकेतागण** के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति है, जिसे विकेतागण ने श्रीमती अंशू पालीवाल पत्नी श्री नितिन पालीवाल आयु–वयस्क, निवासी अरेरा कॉलोनी शहर भोपाल,म.प्र., से विकय पत्र के माध्यम से कय किया था, जिसका इन्द्राज उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल में दिनांक– 05/09/2007 को पुस्तक कमांक– अ–1, ग्रन्थ कमांक– 26840, के कुल पृष्ठ 07 (पृष्ठ क्रमांक 48 से लेकर 54 तक) पर दस्तावेज कमांक–244/5 पर दिनांक 05/09/2007 अंकित है। जिसे विकय करने का **विकेतागण** को मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत स्वामी के वैधानिक अधिकार प्राप्त है एवं भू–राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है।

02. यह कि विकय की जा रही संपत्ति **विकेतागण** के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति है, जिसे **विकेतागण** को मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत स्वामी के वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

03. यह कि विकय की गयी भूमि **विकेतागण** ने कहीं भी हस्तातंरण, दान, बंधक, गिरवी, रहन, वसीयत आदि से ग्रसित नहीं की है और न ही किसी व्यक्ति की जमानत आदि ही दी है। यह कि उक्त वर्णित विकय की जा रही भूमि **पर विकेतागण** ने किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी आदि से कोई कर्ज, भार,

क्रमशः पेज नं. 04 पर

Kanhaiyalal

3105/10 + 3106/10

3106/10 7/11/15

उप पंजीयक
भोपाल

R. Garg

इस दस्तावेज के निष्पादक
रेखा गर्ग के अंगूठे का
निशान का आज दिनांक 14 NOV 2013
को लिया गया।

उप पंजीयक
भोपाल

10 SEP 2013

श्रीमती [illegible] वर्मा
[illegible] विक्रेता
6 A 20 (1250) [illegible] भोपाल
: 660334 572377

उप पंजीयक
भोपाल

इस दस्तावेज के निष्पादक
संदीप खरे के अंगूठे का
निशान का आज दिनांक 14 NOV 2013
को लिया गया।

उप पंजीयक
भोपाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 04. 43AA 625311

आदि नहीं लिया है, और न ही किसी बैंक गारण्टी में बंधक या ग्रसित किया है। अतः उक्त भूमि हर प्रकार से पूर्णतः भारमुक्त होकर सरकारी एवं गैर सरकारी मतालबात से पाक एवं साफ है।

04. यह कि उक्त वर्णित विकय की जा रही असिंचित भूमि के संबंध में कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय, शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय, पंचायत, सोसायटी, आदि में विचाराधीन नहीं है अर्थात् उक्त वर्णित विक्रय की जा रही भमि पूर्णतः पाक एवं साफ होकर पूर्णतः भार रहित भूमि है, एवं उक्त वर्णित विकय की जा रही भमि को विकय किये जाने से न्यायालय द्वारा निषेधित नहीं किया गया है।

05. यह कि उपरोक्त वर्णित असिंचित कृषि भूमि को **विकेतागण** ने अपनी निजी एवं पारिवारिक आवश्यकता के कारण, अपने उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों/हम विक्रेतागण में हित रखने वाले आदि से सहमति लेकर कुल विकय मूल्य "भुगतान के विवरण" के कॉलम में उल्लेखित अनुसार प्राप्त कर बदले में **केता** को सदैव के लिये विक्रय कर दिया यानि बेच दिया है। अतः अब विकय मूल्य में कोई भी राशि लेना शेष नहीं है।

06. यह कि उपरोक्त विकय की जा रही असिंचित कृषि भूमि पर आज से पहले शासकीय/अशासकीय कार्यालय, पंचायत, सोसायटी, बैंक आदि का ऋृण भार या बकाया देना शेष निकलता है तो उसकी अदायगी की जबाबदारी स्वयं हम **विकेतागण** की ही रहेगी एवं हम **विकेतागण** उसके अदायगी लिये पाबंद एवं जिम्मेदार रहूंगा।

07. यह कि विकय प्रतिफल संपूर्ण राशि प्राप्त करने के फलस्वरूप हम **विकेतागण** ने उक्त विकय की जा रही असिंचित कृषि भूमि से संबंधित समस्त स्वत्व, स्वामित्व, अधिकार एवं सभी प्रकार के सुखाधिकार सहित संपत्ति मय कब्जा एवं मूल दस्तावेज सहित **केता** को सौंप दिया है। अब विकय संपत्ति या उसके

क्रमशः पेज नं. 05 पर

Kanhaiyalal

3106/10 + 3107/10

3107/10
7/11/15

10 SEP 2013

भोपाल

श्रीमती सुनी[illegible] शर्मा

स्टाम्प विक्रेता

6 A 20 (1250), तुलसी नगर, भोपाल

☎ : 660334 572377

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 05. 43AA 625312

किसी भी भाग पर हम **विक्रेतागण** या हमारे वारिसान, अंशी, संबंधी, रिश्तेदारों, या हम **विक्रेतागण** में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई हित, हक, हिस्सा, स्वत्व बकाया नहीं रहा हैं।

08. यह कि उपरोक्त वर्णित विक्रय की जा रही असिंचित कृषि भूमि पर उपरोक्त **क्रेता** को कब्जा व दखल मालिकाना हक दे दिया है और आज से उक्त **केता** उपरोक्त विकय की जा रही भूमि के मालिक व स्वामी हो चुके है और उपरोक्त विकय की जा रही भूमि पर हम **विकेतागण** व हम **विकेतागण** के उत्तराधिकारी, भागीदार, हितधारी, वारीसान आदि का कोई स्वत्व, स्वामित्व, हक दखल, मालिकाना एवं अधिकार शेष नहीं रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म उक्त विकय की जा रही भूमि के संबंध में दावा, झगड़ा, या कोई न्यायालयीन कार्यवाही करता है तो वे इस लिखितम के तहत असत्य एवं अवैधानिक मानी जावें।

09. यह कि हम **विकेतागण** यह स्पष्ट उल्लेखित करते है कि उसने उपरोक्त विकय की जा रही असिंचित कृषि भूमि के हर प्रकार के या किसी भी ऋृण, भार, दान आदि से रहित विकय की है एवं उक्त वर्णित असिंचित कृषि भूमि हम **विकेतागण** को शासकीय पट्टे के रूप में प्राप्त नही हुई है। यदि विकय की जा रही असिंचित कृषि भूमि या उसका कोई भाग भविष्य में आज दिनांक से पूर्व के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की त्रुटि के कारण या किसी की दावेदारी के कारण **केता** के हक या अधिकार से निकल जाता है तो ऐसी दशा में विकय मूल्य संपूर्ण राशि मय हर्जे– खर्चे एवं तत्समय प्रचलित बाजार भाव से ब्याज सहित राशि **केता** उक्त हम **विकेतागण** अथवा उसकी चल या अचल संपत्ति से एकमुश्त प्राप्त करने का हकदार होगे।

Kanhaiyalal

क्रमशः पेज नं. 06 पर

3107/10 + 3108/10

3108/10
7/11/15

BHOPAL (M.P.)

10 SEP 2015

श्रीमती रु... ...मा

स्टाम्प विक्रेता

6 A 20 (1250), तुलसी नगर, भोपाल

☎ : 660334 572377